

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020—फाल्गुन 23, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जनवरी 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999), सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, श्रम विभाग तथा श्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जनवरी 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), सहायक कलेक्टर, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जनवरी 2020

क्रमांक ई 1-20/2018/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्र. 33/03/2020-EO (SM-I), दिनांक 20-01-2020 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) सचिव, श्रम विभाग एवं आयुक्त श्रम तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपते हुए संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (2005), आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. अंत्यावसायी, वित्त एवं विकास निगम तथा वक्फ सर्वे आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक ई 1-15/2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना क्र. 154/CGH/2020-P.Admn, दिनांक 29-01-2020 के अनुक्रम में श्री बिपिन मांझी, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. अंत्यावसायी, वित्त एवं विकास निगम तथा वक्फ सर्वे आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2020

क्र./603/एफ-11/26/2019/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/657/एफ-14/36/2007/14-2, रायपुर, दिनांक 12-02-2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

प्रस्तावना में, शब्द “उपमण्डी” के पश्चात् तथा शब्द “प्रांगण में” के पूर्व, चिन्ह तथा शब्द “(फल सब्जी)” का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2020

क्र./603/एफ-11/26/2019/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/603/रायपुर, दिनांक 04-02-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nawa Raipur, Atal Nagar 4th February 2020

No./603/ F-11/26/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. /657/F-14/36/2007/14-2, Raipur dated 12-02-2008, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

In the preamble, after the words “sub-market” and before the words “yard in the”, the symbols and words “(Fruit Vegetable)” shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKRA, Joint Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक-एफ 3-34/2019/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक दृष्टि से एतद्वारा, पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लेखित हैं, को कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाना/चौकी तहसील/ जिला के नाम जिसमें स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाना है.	उप पुलिस थाना/चौकी तहसील/ जिला के नाम जिसमें स्थानीय क्षेत्र अपवर्जित किया जाना है.	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जिला—कोरिया

01.	थाना मनेन्द्रगढ़, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया.	थाना-पोड़ी, तहसील-मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया.	सिरियाखोह	22
02.		थाना-केल्हारी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया.	बैरागी	10
03.	थाना-कोटाडोल, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया.	थाना-केल्हारी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया.	शिवपूर	07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04.	पुलिस सहायता केन्द्र नागपूर, थाना-पोड़ी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया	थाना-चरचा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	भरहीडीह	01
05.		थाना-चरचा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	ग्राम-बांरबांध (जगतपुर)	01
06.	चौकी-कोरिया, थाना-चिरमिरी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	थाना-बैकुण्ठपुर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.	पोटेडांड	15
07.			ढोहडा	15
08.			टेंगनी	15
09.			मदनपुर	15
10.			फाटपानी	15
11.			झलियाडांड	15

जिला—सरगुजा

01.	थाना-अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	थाना-धौरपुर, तहसील-लुण्ड्रा जिला-सरगुजा.	कोरिमा	17
02.			केपी	16
03.			अजिरमा	16
04.			भफौली	01
05.			हसुली	01
06.			करम्हा	01
07.			भिट्ठी खुर्द	01
08.			बकना खुर्द	02
09.			कंचनपुर	05
10.	थाना-गांधीनगर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	थाना-जयनगर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर.	ग्रा.पं. अजिरमा	51
11.			आश्रित ग्राम भगवानपुर खुर्द	51
12.			आश्रिम ग्राम विशुनपुर	52
13.			आश्रिम ग्राम ठाकुरपुर	52
14.	थाना-सूरजपुर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर	थाना-उदयपुर, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा.	गेतरा (स्वतंत्र ग्राम पंचायत)	01

नोट :— स. क्र. 10, 11, 12 एवं 13 पर उल्लेखित ग्राम राजस्व जिला सरगुजा तथा स.क्र. 14 में उल्लेखित ग्राम राजस्व जिला सूरजपुर के अधीन है.

जिला—सूरजपुर

01.	थाना-विश्रामपुर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर.	थाना-जयनगर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर.	रामपुर	16
-----	--	---	--------	----

जिला-नारायणपुर

01.	थाना-नारायणपुर, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर.	थाना-एड़का, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर.	लालसुहानार	11
02.			छोटेसुहानार	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
03.	थाना-एड़का, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर.	थाना-आमाबेड़ा, तहसील-अंतागढ़, जिला-कांकेर.	बंडापाल	34
04.			देवगांव	24

नोट :— स. क्र. 03 एवं 04 में विनिर्दिष्ट ग्राम राजस्व जिला कांकेर के अधीन है.

No. F-3-34/2019/Home-2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of public convenience and administrative reasons hereby, notifies, by making partial amendment in the previous notification, the police station mentioned in column (3) having corresponding entire mentioned in column (4) and (5) as local jurisdiction of Police Station mentioned in column (2) in the table below :—

S. No.	Name of Police Station/ Tehsil/District in which the local area has to be included	Name of Police Station/ Tehsil/District from which the local area has to be excluded	Name of the proposed villages	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
District—Koriya				
01.	Police Station-Manendragarh, Tehsil-Manendragarh, District-Koriya.	Police Station-Podi, Tehsil-Manendragarh, District-Koriya.	Siriyakhoh	22
02.		Police Station-Kelhari, Tehsil-Manendragarh, District-Koriya.	Bairagi	10
03.	Police Station-Kotadol, Tehsil-Bharatpur, District-Koriya	Police Station-Kelhari Tehsil-Manendragarh, District-Koriya.	Shivpur	07
04.	Police Sahayata Kendra Nagpur, Police Station-Podi, Tehsil-Manendragarh, District-Koriya.	Police Station-Charcha, Tehsil-Baikunthpur, District-Koriya.	Bharahideeh	01
05.		Police Station-Charcha Tehsil-Baikunthpur, District-Koriya.	Village-Barnbandh (Jagatpur)	01
06.	Out Post-Koriya, Police Station-Chirmiri, Tehsil-Baikunthpur District-Koriya.	Police Station-Baikunthpur Tehsil-Baikunthpur, District-Koriya.	Potedand	15
07.			Dhohada	15
08.			Tengni	15
09.			Madanpur	15
10.			Fatpani	15
11.			Jhaliyadand	15
District—Surguja				
1.	Police Station-Ambikapur Tehsil-Ambikapur, District-Surguja.	Police Station-Dhourpur Tehsil-Lundra, District-Surguja.	Korima	17
2.			Kepi	16
3.			Ajirama	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.			Bhafauli	01
5.			Hasuli	01
6.			Karmha	01
7.			Bhitti Khurd	01
8.			Bakna Khurd	02
9.			Kanchanpur	05
10.	Police Station-Gandhi Nagar Tehsil-Ambikapur, District-Surguja.	Police Station-Jai Nagar Tehsil-Surajpur, District-Surajpur	Gram Panchayat Ajirama	51
11.			Dependent Village Bhagwanpur Khurd	51
12.			Dependent Village Vishunpur	52
13.			Dependent Village Thakurpur	52
14.	Police Station-Surajpur Tehsil-Surajpur, District-Surajpur.	Police Station-Udaypur Tehsil-Lakhanpur, District-Surguja.	Gram Panchayat, Getra (Independent)	01

Note:— Village specified in S. No. 10, 11, 12, 13 are as under Revenue District Sarguja and S. No. 14 is as under Revenue District Surajpur.

District—Surajpur

1.	Police Station-Visharampur Tehsil-Surajpur, District-Surajpur.	Police Station-Jai Nagar Tehsil-Surajpur, District-Surajpur.	Rampur	16
----	--	--	--------	----

District—Narayanpur

1.	Police Station-Narayanpur Tehsil-Narayanpur, District-Narayanpur	Police Station-Edka Tehsil-Narayanpur, District-Narayanpur.	Lalsuhanar	11
2.			Chhotesuhanar	11
3.	Police Station-Edka Tehsil-Narayanpur District-Narayanpur	Police Station-Amabeda Tehsil-Antagarh District-Kanker	Bandapal	34
4.			Deogaon	24

Note:— Village specified in S. No. 03 and 04 are as under Revenue District Kanker.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बिलासपुर जयरामनगर मस्तुरी निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-11/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-03-2011 द्वारा गठित राहौद निवेश क्षेत्र जिला जांजगीर-चांपा में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम रीवापारा को शामिल करते हुए पुनर्गठित राहौद निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

राहौद निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— रीवापारा.

अनुसूची-दो

राहौद निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम मेंहदी, बुन्देला एवं बिलारी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम बिलारी, कोहका, धरदेही, लोहर्सी एवं देवरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम देवरी, खोरसी, हड़हा, तनौद एवं खोखरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम खोखरी, रीवापारा, पकरिया, महका एवं मेंहदी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-25/2019/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खरौद निवेश क्षेत्र, जिला जांजगीर-चांपा का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

खरौद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम कामता, बोरदा, रींगनी एवं बेलहा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम बेलहा, खरौद नगर पंचायत की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम खरौद नगर पंचायत एवं देवरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम देवरी, खरौद नगर पंचायत, बोरदा एवं कामता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक/02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गुकोंदल	मेड़ो प.ह.नं. 16	0.45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, जगदलपुर.	दुर्गुकोंदल - कोदापाखा मार्ग के कि.मी. 4/2 मेड़ो नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	जनकपुर प.ह.नं. 13	0.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	जनकपुर तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक/10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भेजा प.ह.नं. 16	2.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	भेजा व्यपवर्तन के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक/11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	तेलम्मा प.ह.नं. 16	0.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	भेजा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर-नाली निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक 346/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान छुरियाकला/2020.—छ.ग. नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में छुरियाकला निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्र. 3363/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान छुरियाकला/2019, राजनांदगांव दिनांक 25-09-2019, छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 08 नवम्बर 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव छ.ग. द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट छुरियाकला निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

छुरियाकला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम चंदैनीडीह, घोघरे, डूमरडीह, भण्डारपुर, हालेकोसा एवं बनियाटोला ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बनियाटोला, हालेकोसा एवं ग्राम शिकारीमहका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम शिकारीमहका, तेन्दुटोला, घुपसाल एवं ग्राम कुमराछुरिया की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुमराछुरिया, छुरियाकला, चंदैनीडीह एवं ग्राम घोघरे की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण स्थल :

01. कार्यालय, नगर पंचायत, छुरियाकला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
02. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, तहसील कार्यालय परिसर, बलदेव बाग रोड, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 346/T&CP/Rajnandgaon/S.P.-Chhuriyakala/2020.—The existing land use map and register for the Chhuriyakala planning area was published under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyama 1973 (No. 23 of 1973), vide notice no. 3363 Rajnandgaon, date 25-09-2019 in Chhattisgarh Rajpatra published on dated 08 November 2019.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the Existing Land use map and Register of Chhuriyakala planning area prepared and published are duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon, C.G. under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above

maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Chhuriyakala Planning Area

NORTH	:	Village Chandenideeh, Ghoghre, Dumardeeh, Bhandarpur, Halekosa upto the Northern limit of Baniyatola.
EAST	:	Village Baniyatola, Halekosa upto the Eastern limit of Shikari mahka
SOUTH	:	Village Shikari mahka, Tendutola, Ghupsal upto the Southern limit of Kumarra chhuriya.
WEST	:	Village Kumarra chhuriya, Chhuriyakala, Chandenideeh upto the Western limit of Ghoghre.

The said adopted maps and Register shall be available for inspection or general public at following place during office hours, except holidays for a peiod of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :

01. Office of the Nagar Panchayat, Chhuriyakala, District-Rajnandgaon (C.G.).
02. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Tehsil Office Campus, Baldev Bag Road, District-Rajnandgaon (C.G.).

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
उप संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6336.—कार्यालयीन आदेश/क्रमांक/बी-4/32(2) भा.अधि./2018-19/1387 दिनांक 25-05-2018 द्वारा श्री पी. के. पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) मालखरौदा को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-जांजगीर चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

मान. मंत्री, कृषि छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष मण्डी बोर्ड के अनुमोदन अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री पी. के. पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) मालखरौदा के स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री नारायण प्रसाद गभेल, कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-जांजगीर चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6463.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भा.अधिकारी/2010-11/7574 दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री एल. आर. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बांधाबाजार जिला राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर, जिला राजनांदगांव का ज्ञापन क्रमांक/143/ज्ये.लि.-1/2020 राजनांदगांव दिनांक 06-01-2020 द्वारा श्री एल.आर.ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव के स्थान पर श्री चन्द्रिका प्रसाद बघेल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एल. आर. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अंबागढ़ चौकी के स्थान पर श्री चन्द्रिका प्रसाद बघेल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़
कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2019-20/9888.—मैं टामन सिंह सोनवानी, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता, जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2019-20 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (6)
1.	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	80	4,060.674
		सूरजपुर	33	1,276.992
		भैयाथान	11	63.691
		राजपुर	39	1,761.172
		बलरामपुर	6	88.175
		शंकरगढ़	17	54.255
		रामचन्द्रपुर	3	13.770
		वाड़फनगर	8	23.070
		लखनपुर	9	13.000
		अंबिकापुर	27	168.347
		उदयपुर	2	4.600
2.	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	74	2,482.321
		बतौली	38	610.809
		सीतापुर	16	69.036
		मैनपाठ	4	16.593
		योग	367	10,711.505

टामन सिंह सोनवानी,
गन्ना आयुक्त.

मौ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर, ग्राम केरता
तहसील-प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) 497223
विकासखण्ड वार क्रय केन्द्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या
पेराई सत्र- 2019-20

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
1.	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	1	अमरपुर	41	0.000	0.400	3.440	3.840
			2	बगड़ा	22	5.451	76.030	68.990	150.471
			3	बैकोना	23	3.098	44.106	102.853	150.057
			4	बरौल	17	0.128	1.536	2.596	4.260
			5	बरबसपुर	26	4.768	34.775	54.196	93.740
			6	बरपटिया	58	0.000	2.995	0.390	3.385
			7	बटई	52	0.000	0.200	0.200	0.400
			8	भैरवपुर	23	1.579	8.380	10.219	20.177
			9	भरदा	15	0.000	35.108	44.717	79.825
			10	बोझा	23	12.316	30.977	49.550	92.843
			11	बुढाडांड	24	1.522	17.810	31.332	50.664
			12	चांचीडांड	16	2.768	36.600	50.370	89.737
			13	चंदौरा	23	1.613	7.586	11.463	20.661
			14	चन्द्रमेढा	39	0.725	3.076	0.950	4.751
			15	चन्द्रपुर	12	3.571	15.775	30.284	49.630
			16	चंदेली	26	0.942	28.636	59.842	89.419
			17	दरहोरा	28	0.000	3.340	12.135	15.475
			18	देवरी	26	0.000	0.310	1.880	2.190
			19	धरमपुर	6	8.641	25.654	52.463	86.758
			20	धुमाडांड	45	1.570	0.000	1.390	2.960
			21	डुमरखोली	20	0.000	4.291	6.785	11.075
			22	दुरती	37	1.518	8.789	12.087	22.393
			23	गणेशपुर	11	2.947	12.572	21.535	37.053
			24	गोटगवां	12	2.837	3.038	12.650	18.526
			25	गौरा	15	0.000	47.530	52.278	99.808
			26	जगन्नाथपुर	3	0.586	13.247	19.636	33.469

क्र.	सर्वा क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			27	जरही कालोनी	46	3.121	4.365	2.947	10.432
			28	झिगादोहर	27	0.000	1.060	0.840	1.900
			29	कनकनगर	15	2.843	6.845	11.310	20.998
			30	कैराडांड	19	3.163	5.987	13.443	22.594
			31	करसी	27	1.344	69.139	135.760	206.244
			32	केरता	2	2.832	74.951	94.637	172.419
			33	केवरा	25	2.545	12.335	22.954	37.833
			34	खड़गवाकला	7	13.290	122.091	256.342	391.723
			35	खजुरी	16	3.825	17.631	26.767	48.223
			36	खैराडीह	22	1.120	4.398	8.689	14.207
			37	खुन्शी	28	0.000	3.928	0.581	4.509
			38	कोटेया	20	0.000	67.302	73.979	141.281
			39	लोलकी	22	1.107	3.636	18.686	23.428
			40	मदननगर	6	4.373	23.563	53.692	81.628
			41	माडीडांड	8	1.773	10.685	22.966	35.424
			42	मजगांवा	22	0.000	3.138	4.272	7.410
			43	मकनपुर	26	0.000	15.175	27.677	42.852
			44	मानी	21	0.360	5.642	5.288	11.290
			45	मानपुर	5	0.742	19.305	37.625	57.672
			46	मरहठा	33	0.000	4.774	0.000	4.774
			47	मसगा	23	4.011	6.195	14.641	24.848
			48	मटिगड़ा	30	1.705	7.475	3.541	12.721
			49	मायापुर-1	20	0.470	27.050	53.729	81.249
			50	मायापुर-2	23	6.395	16.545	17.151	40.092
			51	नरोला	52	0.000	0.590	1.550	2.140
			52	नवाडीह	25	2.912	33.281	61.464	97.657
			53	पण्डरीडाण्ड	27	0.000	1.240	1.010	2.250
			54	पहिया	28	0.000	5.648	16.728	22.375
			55	पल्ला	22	1.491	26.837	37.548	65.875
			56	पम्पापुर	2	1.137	35.895	51.952	88.984

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			57	पेन्डारी	26	1.717	16.324	11.741	29.782
			58	पोड़िया	23	4.162	21.843	38.040	64.045
			59	प्रतापपुर	15	10.028	17.863	32.636	60.526
			60	रमगंवा	20	2.955	14.279	31.500	48.734
			61	रमकोला	67	0.000	0.300	0.000	0.300
			62	रामपुर-1	48	0.000	0.000	0.390	0.390
			63	रामपुर-2	17	1.729	10.208	19.425	31.362
			64	रन्हत	56	0.000	0.000	1.000	1.000
			65	रेवटी	46	2.240	4.194	19.123	25.557
			66	सकलपुर	27	3.377	8.831	7.614	19.822
			67	सौतार	22	0.000	4.795	22.131	26.926
			68	सरहरी	25	3.982	1.570	3.615	9.167
			69	सिलौटा	25	0.432	15.118	35.803	51.353
			70	सिलफिली	23	0.404	35.571	58.975	94.950
			71	सेमई	20	4.785	22.885	32.281	59.951
			72	सेमराकला	25	0.000	7.607	32.984	40.591
			73	सेंधोपारा	38	0.000	6.024	6.145	12.169
			74	शंकरपुर	27	3.427	11.239	18.344	33.011
			75	श्यामनगर	30	0.200	0.571	0.205	0.975
			76	सिंघरा	11	13.274	38.707	40.837	92.818
			77	सोनगरा	25	9.269	53.169	65.873	128.311
			78	सोनपुर	24	2.292	8.805	32.885	43.982
			79	सुखदेवपुर	13	4.620	18.510	27.113	50.242
			80	टुकुडांड	18	3.879	44.869	82.371	131.119
योग—						189.906	1462.746	2413.022	4065.674

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
2.	कारखाना द्वार	सूरजपुर	1	अखोराकला	18	11.750	21.220	106.615	139.584
			2	अनुजनगर	33	0.627	2.733	4.961	8.321
			3	बिहारपुर	40	0.869	9.548	12.447	22.864
			4	बृजनगर	25	4.989	1.590	32.847	39.426
			5	छत्तरपुर	13	6.106	4.160	30.689	40.955
			6	द्वारिकानगर	31	0.000	5.175	18.551	23.725
			7	गजाधरपुर	36	1.049	7.665	12.329	21.043
			8	गंगापुर	36	3.111	2.733	17.985	23.829
			9	हरिपुर	22	2.567	27.713	94.497	124.778
			10	हीराडबरी	34	1.060	4.282	7.191	12.533
			11	जगतपुर	40	0.000	4.515	10.331	14.846
			12	जुड़वानी	40	0.000	1.561	6.369	7.930
			13	कल्याणपुर	14	6.807	36.897	92.729	136.434
			14	करसु	39	0.000	0.929	0.630	1.558
			15	करवां	36	0.000	1.215	0.779	1.994
			16	कसलगिरी	32	0.000	0.739	0.337	1.076
			17	कसकेला	38	0.000	2.213	2.323	4.536
			18	कुरवां	37	0.000	0.000	0.400	0.400
			19	लटोरी	28	0.000	2.358	7.008	9.365
			20	महेशपुर	31	0.932	4.277	4.442	9.651
			21	मंजीरा	22	1.044	39.642	72.299	112.985
			22	मोहनपुर	26	0.211	4.842	17.011	22.064
			23	नारायणपुर	40	0.000	0.000	0.226	0.226
			24	पाठकपुर	20	4.375	10.058	25.217	39.650
			25	पोड़िया	16	3.821	13.843	51.120	68.783
			26	रमेशपुर	43	0.111	2.031	9.084	11.226
			27	रामेश्वरपुर	11	0.772	16.593	33.659	51.024
			28	सरस्वतीपुर	53	0.000	1.649	2.954	4.603
			29	सेमरा,सम्बलपुर	37	1.184	3.064	5.124	9.372
			30	सिलफिली	30	0.000	0.188	0.533	0.721
			31	सोनवाही	37	0.258	3.203	4.936	8.697

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			32	सुंदरगंज	22	0.200	33.520	107.898	141.617
			33	तुलसी	36	1.054	45.444	114.977	161.475
योग—						52.897	315.599	908.496	1276.992

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
3	कारखाना द्वार	भैयाथान	1	बतरा	45	0.360	2.077	3.547	5.984
			2	बुन्दीया	32	1.705	6.518	7.131	15.353
			3	चेन्द्रा	50	0.000	0.000	0.330	0.330
			4	धरमपुर (चिकनी)	32	3.234	10.171	8.398	21.802
			5	पकनी	45	0.000	0.000	0.755	0.755
			6	राई	45	0.300	0.550	0.000	0.850
			7	राजकिशोर नगर	50	0.000	0.100	0.280	0.380
			8	सलका—मानपुर	53	0.830	0.800	0.000	1.630
			9	सतीपारा (चन्द्रमेढा)	42	0.240	2.850	3.253	6.343
			10	सुदामानगर	42	0.920	2.405	2.311	5.636
			11	टोमो	46	0.000	2.821	1.808	4.628
योग—						7.589	28.291	27.811	63.692

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
4.	कारखाना द्वार	राजपुर	1	आरा	33	5.511	0.496	4.799	10.806
			2	अखोराखुर्द	21	3.685	30.632	83.881	118.806
			3	अमदरी	55	0.000	0.000	0.860	0.860
			4	अमड़ी पारा	40	0.000	0.199	0.194	0.393
			5	बदौली	20	7.516	94.930	130.420	232.258
			6	बगाडी	38	0.000	6.327	5.303	11.630
			7	बैदी	50	0.000	0.000	0.218	0.218
			8	बरियों	25	0.000	0.090	0.101	0.191
			9	भेण्डी	36	0.000	7.360	4.880	12.240
			10	धिलमाकला	54	0.000	0.984	0.000	0.984
			11	चौरा	9	10.493	46.641	80.993	138.127
			12	डकवा	25	0.000	2.525	2.231	4.756
			13	झाडखडुआ	50	0.390	0.000	0.774	1.164
			14	धंधापुर	20	0.791	34.700	56.503	91.994
			15	दुप्पी	16	16.951	36.985	66.216	120.152
			16	गोपालपुर	24	0.000	16.145	14.938	31.082
			17	झिंगो	40	0.000	3.085	0.310	3.396
			18	ककना	29	0.734	4.237	12.035	17.006
			19	कमारी	44	0.000	0.560	1.246	1.806
			20	करजी	57	0.000	0.939	1.086	2.025
			21	करा (राजपुर)	55	0.000	4.728	7.097	11.825
			22	खोखनिया	9	0.664	19.807	39.042	59.514
			23	खोरडो	22	5.504	34.138	34.598	74.241
			24	खुखरी	23	3.775	27.209	32.681	63.665
			25	कुन्दीकला	20	4.113	59.665	80.727	144.505
			26	लाऊ	50	0.000	1.658	0.000	1.658

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			27	लडुवा	45	0.000	0.092	0.421	0.513
			28	मदनेश्वरपुर	36	3.196	12.435	20.841	36.471
			29	मरकाडांड	19	6.027	19.029	94.220	119.275
			30	नुरका (राजपुर)	23	0.702	4.442	5.142	10.286
			31	नरसिंहपुर	55	0.000	35.255	76.941	112.196
			32	नवकी	39	0.000	1.423	0.000	1.423
			33	परसवार	18	0.000	33.683	18.127	51.810
			34	परसागुडी	49	0.000	10.379	15.892	26.271
			35	पेन्डारी (राजपुर)	50	0.000	1.332	1.139	2.471
			36	रेवतपुर	15	1.147	61.002	65.261	127.410
			37	शिवपुर	19	1.151	16.673	23.629	41.452
			38	सिधमा	23	12.102	11.502	33.980	57.584
			39	सिंहचौरा	48	0.201	0.616	17.890	18.708
			योग-			84.655	641.903	1034.614	1761.172

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
5.	कारखाना द्वार	बलरामपुर	1	अमरावतीपुर	55	0.000	6.960	3.820	10.780
			2	चलगली(करी)	34	0.000	13.630	34.580	48.210
			3	चमनपुर	30	0.000	5.300	9.490	14.790
			4	चिरई	95	0.000	0.000	0.755	0.755
			5	कड़िया	51	0.000	7.160	5.080	12.240
			6	कृष्णनगर	116	0.000	0.100	1.300	1.400
			योग-			0.000	33.150	55.025	88.175

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
6.	कारखाना द्वार	शंकरगढ़	1	अमेरा	75	0.000	0.323	0.000	0.323
			2	बेलकोना	95	0.000	13.783	10.320	24.103
			3	भैरवपुर	67	0.000	1.570	0.000	1.570
			4	चैनपुर (डिपाडीह)	92	0.000	0.609	0.406	1.015
			5	दामोदरपुर	62	0.000	0.407	1.100	1.507
			6	घुघरी कला	90	0.200	0.216	0.671	1.087
			7	हर्गावान	80	0.000	1.994	1.284	3.278
			8	करासी (डीपाडीह)	80	0.000	0.000	0.400	0.400
			9	खैराडीह	68	0.000	0.000	1.266	1.266
			10	मनकेपी	61	0.000	0.000	0.774	0.774
			11	मानपुर	62	0.000	0.000	0.393	0.393
			12	मुरका	40	0.000	0.000	1.545	1.545
			13	नवापारा	88	0.000	0.545	0.347	0.892
			14	पहरी	72	0.000	1.477	0.000	1.477
			15	सिहर	65	0.000	0.374	2.470	2.844
			16	सिलफिली	64	1.026	0.510	8.888	10.425
			17	विनायकपुर	75	0.000	0.000	1.355	1.355
योग—						1.226	21.809	31.220	54.255

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
7.	कारखाना द्वार	रामचंद्रपुर (बलरामपुर)	1	गम्हरिया	75	0.000	0.400	4.525	4.925
			2	नावापारा	95	0.000	0.000	0.210	0.210
			3	त्रिकुण्डा	67	0.000	0.200	8.435	8.635
			योग—			0.000	0.600	13.170	13.770

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामो से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
8.	कारखाना द्वार	वाड्डफनगर	1	घुमरा	101	0.000	0.000	0.300	0.300
			2	महेवा	70	0.540	0.000	0.500	1.040
			3	महुली	80	0.000	0.000	0.860	0.860
			4	मुरकौल	65	0.000	0.100	0.300	0.400
			5	पड़ौली	60	0.000	2.040	2.330	4.370
			6	शिवरी	42	0.000	0.000	1.000	1.000
			7	सुलसुली	77	0.000	5.500	8.700	14.200
			8	सुरहुल	87	0.000	0.200	0.700	0.900
			योग—			0.540	7.840	14.690	23.070

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
9	कारखाना द्वार	अम्बिकापुर	1	अड़ची	59	0.000	0.064	0.293	0.357
			2	अम्बिकापुर	28	0.177	0.727	2.115	3.018
			3	बलसेड़ी	26	4.117	17.993	21.979	44.089
			4	भफौली	31	1.936	5.117	8.629	15.682
			5	भगवानपुर	40	0.316	0.150	0.474	0.939
			6	छिन्दकालो	45	0.000	0.198	0.617	0.815
			7	दरिमा	44	0.000	0.179	0.334	0.512
			8	घघरी	27	1.606	3.785	7.014	12.405
			9	कंचनपुर	31	0.890	0.755	1.097	2.742
			10	करम्हा	36	1.068	2.405	3.088	6.561
			11	कर्मा (पाटीपारा)	69	0.108	0.206	1.263	1.578
			12	केरा कछार	42	0.000	0.249	0.000	0.249
			13	खजुरी	51	0.735	0.863	2.750	4.348
			14	खलीबा	31	0.000	0.184	0.174	0.357
			15	किशुन नगर	24	0.216	0.040	0.074	0.330
			16	कुल्हाडी	28	1.537	4.780	7.885	14.201
			17	लबजी	40	0.585	0.584	3.187	4.356
			18	महुआटिकरा	40	0.000	0.180	0.651	0.831
			19	मेंड्राकला	40	0.000	0.151	1.295	1.446
			20	मेन्ड्राखुर्द	36	0.000	0.185	0.255	0.440
			21	नवानगर	56	0.546	0.241	0.696	1.483
			22	पम्पापुर	55	0.000	0.000	0.174	0.174
			23	परसा	40	0.299	0.252	0.820	1.370
			24	रुखपुर	26	2.243	13.445	26.116	41.803

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			25	सकालो	21	0.864	0.372	0.958	2.194
			26	सरगवां	21	0.887	0.649	4.253	5.789
			27	ससकालो	51	0.000	0.138	0.138	0.275
			योग—			18.129	53.892	96.326	168.347

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
10	कारखाना द्वार	लखनपुर (सरगुजा)	1	अमलमिठी	68	0.000	0.000	0.390	0.390
			2	अंधला	66	0.000	0.000	0.390	0.390
			3	बिनकरा	57	0.000	0.000	0.390	0.390
			4	गणेशपुर	51	0.000	0.000	0.390	0.390
			5	जमगला	65	0.000	0.000	3.680	3.680
			6	कटिन्दा	59	0.000	0.000	0.390	0.390
			7	सलका	59	1.190	2.800	2.600	6.590
			8	सिरकोतंगा	60	0.000	0.000	0.390	0.390
			9	तुरना	64	0.000	0.000	0.390	0.390
			योग—			1.190	2.800	9.010	13.000

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
11	कारखाना द्वार	उदयपुर (सरगुजा)	1	चकेरी	75	0.000	0.000	0.600	0.600
			2	मोहनपुर	63	0.000	1.600	2.400	4.000
			योग—			0.000	1.600	3.000	4.600

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
12	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	1	आमगांव	64	0.000	0.309	6.802	7.112
			2	अगासी	57	0.000	3.049	2.114	5.163
			3	अजिरमा कला	67	0.000	0.000	0.363	0.363
			4	असकला	55	0.000	40.180	121.910	162.090
			5	बदगरी	66	0.000	1.079	2.730	3.808
			6	बहेराडीह	63	0.000	5.464	14.742	20.206
			7	बकनाकला	64	0.000	0.279	1.623	1.902
			8	बरगीडीह	63	0.000	4.855	27.378	32.232
			9	बरकोल	76	0.000	1.752	2.884	4.635
			10	बतौली	51	0.000	0.257	0.551	0.808
			11	बटवाही	49	17.216	47.770	94.954	159.940
			12	बुलंगा	55	7.127	42.984	72.300	122.411
			13	चलगली - II	71	0.000	0.740	1.065	1.805
			14	चलगली - I	56	2.031	12.758	14.770	29.558
			15	चोरकीडीह	50	0.000	8.282	27.856	36.137
			16	डडगांव	60	4.257	17.485	63.844	85.586
			17	डहौली	63	2.239	10.377	41.268	53.884
			18	डकई	59	0.000	0.375	3.289	3.664
			19	दरिडीह	43	0.000	0.000	2.154	2.154
			20	देवरी	56	0.000	1.263	18.747	20.010
			21	धौरपुर	46	0.000	0.000	0.200	0.200
			22	दोरना	61	3.443	6.650	78.859	88.952
			23	डुमकी	42	2.503	5.482	27.051	35.035
			24	गंगापुर	49	0.000	14.787	34.777	49.564
			25	गंगोली	60	0.000	0.771	10.648	11.419
			26	गंझाडांड	51	0.000	0.000	0.200	0.200

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			27	गेरसा	48	0.000	1.520	10.850	12.370
			28	घघरी	61	0.000	0.000	2.100	2.100
			29	गुजरवार	63	0.000	1.573	5.810	7.382
			30	जमीरा	55	0.000	2.512	1.985	4.497
			31	जराकेला	73	0.000	0.871	3.343	4.214
			32	जरहाडीह	50	5.300	32.180	122.780	160.260
			33	झेराडीह	63	0.805	18.350	62.430	81.585
			34	जोरी	52	0.000	1.507	4.124	5.631
			35	ककनी	54	0.000	1.010	12.966	13.976
			36	करांकी	62	0.000	4.210	25.740	29.950
			37	करेसर	66	0.000	0.081	3.160	3.241
			38	करगीडीह	52	0.000	0.000	1.480	1.480
			39	करौली	52	0.000	6.622	25.708	32.330
			40	खालपोड़ी	63	0.780	11.618	31.256	43.654
			41	खाराकोना	43	0.000	2.327	8.716	11.043
			42	खुरन्डीह	53	1.008	3.546	18.812	23.366
			43	किरकिमा	66	0.000	0.809	12.680	13.489
			44	कोईलारी	66	0.000	1.202	6.285	7.487
			45	कोरंधा	67	0.000	0.678	0.671	1.349
			46	कोट	52	2.109	20.420	55.160	77.689
			47	कुदर	61	0.000	0.432	4.517	4.949
			48	कुन्दीकला	63	0.000	0.000	0.907	0.907
			49	लमगांव	50	7.200	23.660	151.440	182.300
			50	लुण्ड्रा	67	0.000	0.000	2.455	2.455
			51	महोरा	61	4.652	29.527	124.967	159.146
			52	मसंगा	70	0.000	2.114	3.744	5.858
			53	नागम	68	1.126	1.778	3.066	5.970
			54	नवडीहा	58	0.777	2.463	29.710	32.949
			55	पड़ौली	45	0.000	4.259	18.649	22.907

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			56	पार्वतीपुर	63	0.000	0.260	1.783	2.043
			57	पसेना	66	5.471	7.648	41.187	54.305
			58	पटोरा	55	3.891	11.649	22.719	38.259
			59	पतराडीह	69	1.945	10.524	24.158	36.627
			60	पुरकेला	52	0.000	1.172	8.430	9.602
			61	राई	49	0.000	9.630	47.920	57.550
			62	रघुनाथपुर	44	0.000	3.180	2.810	5.990
			63	सहनपुर	58	0.000	4.272	15.774	20.046
			64	सखोली	58	4.698	3.315	30.131	38.144
			65	ससोली	67	0.000	7.783	19.836	27.619
			66	सेमरडीह	53	0.000	0.671	0.836	1.507
			67	सिकिलमा	51	0.000	0.600	2.830	3.430
			68	सिलसिला	58	0.375	15.415	77.901	93.691
			69	सुमेरपुर	45	0.000	0.000	2.139	2.139
			70	तुरियाबीरा	59	5.959	28.890	71.110	105.959
			71	उदारी	55	0.799	19.532	37.303	57.634
			72	उंचडीह	63	0.000	4.053	10.160	14.213
			73	उपरपोड़ी	69	0.000	0.750	5.805	6.555
			74	उरदरा	66	0.000	3.612	10.022	13.635
योग—						85.709	535.169	1861.443	2482.322

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
13	रघुनाथपुर	बतौली	1	बासाझार	78	0.320	1.530	0.476	2.326
			2	बासेन	70	0.000	0.424	1.358	1.782
			3	बटईकेला	84	1.985	0.392	4.869	7.246
			4	बतौली	64	0.000	3.969	9.263	13.232
			5	बेलकोटा	54	1.728	5.766	7.900	15.394
			6	बिलासपुर	67	3.815	5.983	7.864	17.662
			7	बिरीमकेला	76	0.805	5.491	10.106	16.402
			8	बिशुनपुर	79	0.640	1.615	7.336	9.591
			9	धिरंगा	64	0.420	2.214	4.505	7.139
			10	देवरी	55	7.328	32.532	69.525	109.385
			11	गहिला	53	0.812	8.204	21.920	30.936
			12	घोघरा	69	1.373	6.887	15.795	24.055
			13	जरहाडीह	77	1.894	1.571	2.385	5.851
			14	झरगांव	59	3.178	9.726	12.871	25.775
			15	कच्छारडीह	76	1.143	3.036	4.271	8.450
			16	कपाटबहरी	77	2.555	20.784	20.142	43.481
			17	कुड़केल	78	1.240	3.076	5.546	9.862
			18	कुनकुरी	64	0.000	2.517	3.090	5.607
			19	ललाती	75	0.000	2.137	2.058	4.195
			20	महेशपुर	77	0.566	0.474	0.827	1.867
			21	मंगारी	73	0.445	4.120	10.082	14.647
			22	मांजा	63	0.000	2.538	1.639	4.177
			23	मानपुर	70	0.242	2.002	7.523	9.766
			24	नयाबांध	88	0.000	0.000	1.464	1.464
			25	पथरई	67	1.736	9.400	13.880	25.016
			26	पोकसरी	77	0.000	0.908	2.100	3.008
			27	पोपरंगा	67	1.161	6.791	18.965	26.917
			28	सल्याडीह	72	0.918	3.846	5.038	9.803
			29	सरमना	82	1.086	6.146	10.267	17.499
			30	सेदम	70	0.000	0.000	2.107	2.107
			31	शिवपुर	60	0.305	0.230	1.855	2.390

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			32	सिलमा	72	1.365	23.089	37.492	61.946
			33	सुवारपारा	69	0.000	1.325	0.871	2.196
			34	तरागी/बोदा	71	0.912	9.486	21.373	31.770
			35	टेडगा	62	1.126	8.740	10.514	20.380
			36	तेलईधार	91	0.138	2.451	3.669	6.258
			37	टिरंग	76	0.412	5.106	2.212	7.729
			38	उमापुर	61	0.437	2.304	0.759	3.500
			योग			40.082	206.812	363.915	610.809

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
14	रघुनाथपुर	सीतापुर	1	बगडोली	96	0.000	0.794	2.053	2.847
			2	बनेया	98	0.840	1.648	3.435	5.923
			3	बेलजोरा	94	0.360	1.438	0.857	2.655
			4	भवराडांड	85	0.469	1.305	4.314	6.088
			5	भूसु	94	1.103	3.712	2.756	7.571
			6	गिरहुलडीह	96	0.371	0.000	0.930	1.301
			7	गुतुरमा	96	0.885	1.251	2.534	4.670
			8	हराटिकरा	93	0.000	0.326	0.451	0.778
			9	हराटिकरा	93	0.000	0.329	0.757	1.086
			10	परसा	88	0.000	0.977	1.871	2.848
			11	प्रतापगढ़	96	0.630	2.879	6.142	9.651
			12	रजौटी	102	0.000	0.611	0.411	1.022
			13	रजपुरी	98	0.000	0.633	0.906	1.539
			14	सहनपुर	92	0.000	0.000	0.403	0.403
			15	सूर	87	0.000	1.486	1.493	2.978
			16	उलकिया	100	1.590	6.685	9.403	17.678
			योग—			6.248	24.072	38.716	69.036

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
15	रघुनाथपुर	मैनपाट	1	जजगा	86	0.000	2.491	1.104	3.595
			2	जंगलपारा	98	0.000	3.607	3.487	7.094
			3	कतकालो	99	0.000	2.224	2.375	4.599
			4	कोट बंदना	93	0.000	0.240	1.065	1.305
योग—						0.000	8.562	8.031	16.593

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्रमांक 68/स्थापना/रा.मं./2020.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 11/स्थापना/रा.मं./2019, बिलासपुर दिनांक 11-01-2019 को अतिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7, 8 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायपुर, गरियाबंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर. समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य प्रकरण.

- (स) आबकारी अधिनियम एवं स्टॉप शुल्क अधिनियम से संबंधित लंबित एवं नये प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के द्वारा की जायेगी.
- (द) **स्थगन आवेदन पत्र**— अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी —

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.

- (इ) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. द्वारा संपूर्ण छ.ग. कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात का होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई किया जा सकता है.
- (ई) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है :—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु स्थान
1.	श्री सी. के. खेतान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यतः प्रथम एवं तृतीय बुधवार एवं गुरुवार. 2. सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार एवं बुधवार.
2.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यतः माह के प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.

- (उ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—
- न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यतः प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न 2.00 बजे तक.
 - सामान्यतः शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.
- (ऊ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.
- (ए) उपरोक्त न्यायालयीन दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो तो शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

हस्ता./-
अवर सचिव.